अध्याय 1

प्रस्तावना

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए दिल्ली की आर्थिक वृद्धि संभावनाएं आशाजनक विकास पथ के साथ उज्ज्वल हैं। सरकार के उपायों ने अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया है और सुविधा–वंचित वर्गों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया है। व्यापक रणनीति से दिल्ली की आर्थिक क्षमता का और अधिक उपयोग संभव हो सकेगा और समृद्धि की ओर इसकी यात्रा को सहयोग मिलेगा।

2. दिल्ली एक स्मार्ट, सतत और समायोजी शहरी बुनियादी ढांचा सृजित कर भारत के डिजिटली सक्षम क्षेत्र के रूप में विकसित होने के लिए लगातार प्रगति कर रहा है। दिल्ली मास्टर प्लान–2041 दिल्ली को एक विकसित और सुगमता से रहने योग्य स्थान बनाना चाहता है जो हानिकर बहिःस्राव, धुंए और ध्वनि प्रदूषण के बिना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ, उच्च प्रौद्योगिकी और दक्ष आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन सके।

3. दिल्ली विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी है। यह देश के सबसे बड़े महानगरों में एक तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, संस्कृति और साहित्य का केंद्र है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय का लगभग तीन गुना है। दिल्ली में सेवा क्षेत्र का वर्चस्व रहा है जो इसकी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है। यह केंद्र शासित प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गली–कूचों में स्थित दुकानों से लेकर बड़े बड़े ब्रैंड के वैभवपूर्ण शो रूम तक और तरह तरह के व्यंजनों के साथ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है।

4. दिल्ली को दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दिल्ली का प्रशासकीय ढांचा दोहरे कार्यक्षेत्र के अधीन है– केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। दिल्ली में 11 जिले और 33 सबडिवीजन हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 1114 वर्ग किलोमीटर शहरी और 369 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। इसकी सीमा पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश से और अन्य सभी दिशाओं में हरियाणा से लगती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का केंद्र भी है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 द्वारा सृजित विशेष अंतर्राज्य क्षेत्रीय योजना क्षेत्र है। दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में तीन स्थानीय निकाय है–दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)।

5. दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय महत्व का स्मृति चिन्ह है, जिसकी स्थापना देश के शहीदों के त्याग और बलिदान के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति में वर्ष 2019 में की गयी थी। नई दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के दो किलोमीटर के खंड राजपथ को एक नया नाम दिया गया है– कर्तव्य पथ। यह बदलाव सत्ता की ताकत का बोध कराने वाले शब्द राजपथ का जनता के स्वामित्व और सशक्तीकरण का प्रतीक कर्तव्य पथ बनने का उदाहरण है।

6. "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य : वसुधैव कुटुम्बकम" सूत्र वाक्य के साथ जी–20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में

आयोजित हुआ। इस बार भारत ने पहली दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी–20 की अध्यक्षता ग्रहण की। जी–20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने भू–राजनीतिक मुद्दों तथा विकास और आर्थिक वृद्धि पर इनके प्रभावों पर विचार विमर्श का नेतृत्व किया। भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, हरित विकास पहल, बहुपक्षीय वित्त पोषण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और अंतरराष्ट्रीय कराधान पर केंद्रित घोषणा पत्र पर सर्वसहमति प्राप्त करने में सफल रहा।

राज्य की अर्थव्यवस्था

7. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर हमेशा राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग 2.5 गुणा अधिक रही है। वर्ष 2022–23 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 430120 रुपये के स्तर पर पहुंच गयी जो 2021–22 में प्रचलित मूल्यों पर 376217 रुपये थी। 2023–24 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 461910 रुपये है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022–23 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान 258941 रुपये था जबकि वर्ष 2021–2022 में यह 244024 रूपये थी। 2023–24 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 5.69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 273687 रुपये तक पंहुच जाने की आशा है।

8. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। 2023–24 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्द्धित (प्रचलित मूल्यों पर) में इस क्षेत्र का योगदान 85.40 प्रतिशत है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का योगदान (13.02 प्रतिशत) और प्राथमिक क्षेत्र का (1.58 प्रतिशत) रहा। राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और राज्य की आय में योगदान में तृतीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9. वर्ष 2023–24 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान 1107746 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है जिसमें वर्ष 2022–23 के मुकाबले 9.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023–24 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान 672247 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था जो 2022–23 की तुलना में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

10. दिल्ली में सफल व्यापक टीकाकरण अभियान के कारण अर्थव्यवस्था के सामान्य स्तर पर लौटने के साथ ही सेवा क्षेत्र, उपभोग और निवेश में तेजी से बहाली की आशा बंधी है। कोरोना काल के बाद दिल्ली मे कुल आर्थिक गतिविधि बहाल हुई है। वर्ष 2021–22 और 2022–23 में क्रमशः 8.76 प्रतिशत और 7.85 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी में सुधार हुआ है।

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट

11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली को विश्वस्तरीय , समावेशी, उत्तरदायी और सबके लिए सुविधासंपन्न शहर बनाकर अपने नागरिकों की आकांक्षा पूरी करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। सरकार ने उच्च कोटि के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन सुविधा और जन उपयोगी बुनियादी

ढांचे के साथ अपने नागरिकों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जरूरतमंदों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण की व्यवस्था की है।

12. वर्ष 2023–24 का बजट 78,800 करोड़ रुपये का था जिसमें से 43,700 करोड़ रुपये रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार की स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिए आवंटित किये गये। यह आवंटन 2022–23 (ब.अ.) के 43,600 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये अधिक था।

43,700 करोड़ रुपये का बजट आवंटन विभिन्न क्षेत्रों के बीच वितरित किया गया। आवंटन का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों का ब्योरा इस प्रकार हैः–

(1) **परिवहनः**– स्कीम के तहत सबसे अधिक बजट आवंटन परिवहन क्षेत्र के लिए है - 9048 करोड़ रुपये (कुल स्कीम बजट का 21 प्रतिशत)। इसमें से प्रमुख आवंटन (i) 3061 करोड़ रुपये सड़क और पुलों के लिए (ii) 2250 करोड़ रुपये डीटीसी को जीआईए के लिए (iii) 1250 करोड़ रुपये कलस्टर बसों के व्यवहार्यता अंतराल के लिए (iv) 900 करोड़ रुपये बस टर्मिनल/डिपो इत्यादि के विकास के लिए है।

(2) **शिक्षाः**– इस क्षेत्र के लिए 7565 करोड़ रुपये का बजट आवंटन (कुल स्कीम बजट का 17 प्रतिशत) है जिसमें से बड़ा आवंटन (i) 1710 करोड़ रुपये एमसीडी के लिए (ii) 783 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान (iii) 550 करोड़ रुपये मौजूदा स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए (iv) 250 करोड़ रुपये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए और (v) 263 करोड़ रुपये स्कूल यूनिफॉर्म सबसिडी के लिए हैं।

(3) **जलापूर्ति और स्वच्छताः**– जलापूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र के लिए 6342 करोड़ रुपये का बजट आवंटन है जो कुल स्कीम बजट का 15 प्रतिशत है। इसमें से 2110 करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन जलापूर्ति के लिए यमुना और जल निकायों के कायाकल्प के 85 करोड़ रुपये है, जिसमें और 3332 करोड़ रुपये सीवरेज और जलनिकासी प्रणाली के लिए शामिल है।

(4) **आवासन और शहरी विकास** के लिए बजट आवंटन में 5462 करोड़ रुपये हैं जो कुल स्कीम बजट का 12 प्रतिशत है। इसमें (i) 1177 करोड़ रुपये अमृत 2.0 (पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिए अटल मिशन) के तहत, (ii) 599 करोड़ रुपये एमसीडी के लिये, (iii) 1002 करोड़ रुपये अनधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हैं।

(5) **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य** : इस क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 4830 करोड़ रुपये है जो कुल स्कीम बजट का 11 प्रतिशत है।

13. आउटकम बजट 2023–24 में 22 प्रमुख विभागों का उल्लेख है जिसमें प्रमुख कार्यक्रम और स्कीम तथा प्रत्येक के लिए मुख्य आउटपुट और आउटकम संकेतक निर्दिष्ट किये गये हैं। यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है कि संकेतक स्मार्ट यानी (विशिष्ट, मापन योग्य, उत्तरदायित्व निश्चित करने योग्य, वास्तविक और लक्षित) हों साथ ही ये विभिन्न विभागों की समान स्कीम और कार्यक्रमों से तुलना योग्य भी हों।

14. आउटकम बजट की स्थिति रिपोर्ट भी वार्षिक रूप से संकलित की जाती है जो आउटकम बजट की उपलब्धियों की स्थिति बतलाती है। निर्दिष्ट संकेतकों को 'ऑन ट्रैक' और 'ऑफ ट्रैक' रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

सार्वजनिक वित्त

15. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व और केंद्र से सहायता अनुदान/अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के कर राजस्व में जीएसटी (वस्तु और सेवाओं पर अन्य कर और प्रभार सहित), मूल्य संवर्द्धित कर (वैट), स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, राज्य आबकारी और मोटर वाहन कर के तहत प्राप्तियां शामिल हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान, ये कर सम्मिलित रूप से राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 75.53 प्रतिशत थे। 2022–23 (अनंतिम) के दौरान दिल्ली सरकार के कर संग्रह में 18.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2021–22 में 36 प्रतिशत की वृद्धि रही थी। 2022–23 में कर राजस्व के सभी घटकों में सकारात्मक वृद्धि रही। 2023–24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार के लक्षित कर संग्रह में 2022–23 (अनंतिम) की वास्तविक वृद्धि की तुलना में 13.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ, दिल्ली सरकार के गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा निवेश और सेवा प्रभार/शुल्क/जुर्माना इत्यादि शामिल हैं।

16. दिल्ली विधान सभा ने 31 मई 2017 को राज्य वस्तु और सेवा अधिनियम पारित किया था और इस प्रकार दिल्ली में जीएसटी 01.07.2017 से लागू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप पूर्व में लागू वैट (पैट्रोलियम, शराब इत्यादि के अलावा) और अन्य कर जैसे मनोरंजन कर, विलासिता कर और केबल टीवी कर जीएसटी में समाहित हो गये। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने सभी मौजूदा वैट डीलर्स को वस्तु और सेवा कर की नयी प्रणाली में सुचारू ढंग से लाने के लिए सभी प्रयास किये।

17. वर्ष 2013–14 में दिल्ली सरकार पर 32080.31 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था जो इसके जीएसडीपी के 6.48 प्रतिशत के बराबर था। 31.03.2023 को बकाया ऋण राशि 40017.55 करोड रुपये थी जिससे ऋण–जीएसडीपी अनुपात 3.94 प्रतिशत पर आ गया। राजस्व प्राप्तियों और ब्याज भुगतान के अनुपात में भी कमी आयी और यह 2022–23 में 5.21 प्रतिशत हो गया जबकि 2012–13 में यह अनुपात 11.20 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट है कि ऋण समस्या नियंत्रण में है। दिल्ली सरकार को 2022–23 के दौरान 3251.22 करोड़ रुपये जबकि 2021–22 के दौरान 5000 करोड़ रुपय का लघु बचत ऋण प्राप्त हुआ ।

18. दिल्ली ने राजकोषीय अधिशेष की अपनी स्थिति बनाए रखी है। वर्ष 2022–23 (अनंतिम) में यह बढ़कर 14457 करोड़ रुपये हो गया जबकि 2021–22 में यह 3270 करोड़ रुपये था। 2022–23 के दौरान दिल्ली का राजकोषीय अधिशेष जीएसडीपी का 1.42 प्रतिशत था और 2023–24 (बजट अनुमान) में यह 0.52 प्रतिशत है।

19. पहले के केंद्रीय वित्त आयोगों की तरह ही दिल्ली पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें सीएफसी) की संदर्भ शर्तों के दायरे में नहीं आ सका है। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020–21 से लेकर 2025–26 तक की है। इसलिए राज्यों के लिए आयोग द्वारा की जाने वाली अनुशंसाएं, जिसमें केंद्रीय करों में

हिस्सा, स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रीय अनुदान, आपदा राहत अनुदान इत्यादि शामिल हैं, दिल्ली को नहीं मिल सकेंगी। इस मुद्दे पर रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार पहले ही भारत सरकार से समुचित कदम उठाने का अनुरोध कर चुकी है ताकि दिल्ली को 16वें वित्त आयोग के दायरे में लाया जा सके। वर्तमान में दिल्ली को केंद्रीय करों में हिस्से के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान मिलता है और यह भी 2001–02 से 325 करोड़ रुपये पर स्थिर है। वर्ष 2000–01 में रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के लिए सामान्य केंद्रीय सहायता 370 करोड़ रुपये थी और 22 वर्ष बाद भी यह (2022–23) 626 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 2023–24 के बजट अनुमानों से 'केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले अनुदान' और 'केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता' को जोड़ दिया गया है, जो कि 2023–24 (ब.अ.) में 951 करोड़ रूपये हैं।

20. रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार समय समय पर गठित किये जा रहे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने स्थानीय निकायों को राशि अंतरित कर रही है। दिल्ली में स्थानीय निकायों को राशि अंतरण का तीसरे दिल्ली वित्त आयोग (कार्यकाल 2006–07 से 2010–11) की सिफारिशों पर आधारित फॉर्मूला 2015–16 तक बढ़ा दिया गया था। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने कैबिनेट निर्णय संख्या 2669 और 2670 दिनांक 01.01.2019 के द्वारा पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशें 2016–17 से 2020–21 तक लागू करने और 2011–12 से 2015–16 तक निवल कर का अंतरण, चौथे के स्थान पर तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के अनुसार जारी रखने का फैसला लिया।

व्यापार और वाणिज्य

21. व्यापार और वाणिज्य ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था की मजबूती में, कर राजस्व के रूप में महत्वपूर्ण योगदान और समाज के बड़े हिस्से को लाभकारी रोजगार मुहैया कराकर, केंद्रीय भूमिका निभायी है। दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बड़ा व्यापार और उपभोग केंद्र है। व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में दिल्ली की विशेष पहचान है यानी कि इसकी आर्थिक गतिविधि का बड़ा हिस्सा कहीं और तैयार माल के पुनर्वितरण तथा स्थानीय बिक्री के लिए आयात और अन्य राज्यों को निर्यात किये जाने यानी अंतर्राज्यीय बिक्री से जुड़ा है। अपनी भौगोलिक स्थिति और अन्य ऐतिहासिक कारणों, बुनियादी ढांचा सुविधाओं की उपलब्धता इत्यादि की वजह से दिल्ली ने एक प्रमुख वितरण केंद्र का दर्जा हासिल कर लिया है।

22. दिल्ली में व्यापार, होटल और रेस्तरां से जीएसवीए वर्ष 2023–24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर 117471 करोड़ रुपये रहा जो दिल्ली के कुल जीएसवीए का लगभग 12.05 प्रतिशत है (आधार वर्ष 2011–12)। दिल्ली के जीएसवीए में इस क्षेत्र का योगदान पिछले 13 वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक रहा है।

मूल्य रुझान

23. थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) राष्ट्रीय स्तर पर थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। डबल्यूपीआई की वर्तमान श्रृंखला आधार वर्ष (2011–12 = 100) से तुलना के लिए एक अवधि के दौरान थोक मूल्यों में परिवर्तन दर्शाती है। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मासिक बिक्री मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) संकलित करता है और जारी करता है।

24. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडबल्यू) का सामान्य उपयोग दैनिक उपभोग की आम वस्तुओं के खुदरा मूल्यों का रुझान मापने के लिए किया जाता है। श्रम ब्यूरो ने सितंबर 2020 से सीपीआई– आईडबल्यू की मौजूदा श्रृंखला के आधार 2001=100 को नये आधार 2016=100 में अद्यतन किया है। श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ अद्यतन श्रृंखला के तहत भारत में दिल्ली सहित चुने हुए 88 केंद्रो/बाजारों के लिए मासिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलिय और जारी कर रहा है।

25. सूचकांक (सीपीआई–आईडबल्यू) 6 समूहों के लिए अलग से तैयार किया जाता है और इसके बाद प्रत्येक ग्रुप को भार देते हुए इसे संघटित किया जाता है। अद्यतन श्रृंखला 2016 = 100 के तहत सबसे अधिक भार खाने पीने की वस्तुओं के समूह को दिया गया है, 36.13 प्रतिशत पर। इसके बाद विविध को 26.26 प्रतिशत, ईंधन और प्रकाश को 7.05 प्रतिशत, वस्त्र और फुटवियर को 5.43 प्रतिशत, पान, सुपारी और मादक पदार्थ को क्रमशः 0.84 प्रतिशत तथा आवास 24.29 प्रतिशत पर।

26. दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 46 अंक (3.7 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2022 के 125.7 से बढ़कर वर्ष 2023 में 130.3 हो गया। खाद्य और बीवरेज समूह का सूचकांक 2022 के 130.7 से बढ़कर 2023 में 136.7 हो गया, इसमें 6.0 (4.6 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी।

कृषि और ग्रामीण विकास

27. 2011–12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धित (जीएसवीए) के प्रतिशत संवितरण ने कृषि और सहयोगी सेक्टर में गिरावट का रुझान दर्शाया। स्पष्ट रूप से कहा जाये तो जीएसवीए में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान जारी मूल्यों पर 2011–12 के 0.94 प्रतिशत से कम होकर 2023–24 में 0.32 प्रतिशत हो गया।

28. दिल्ली में कुल सकल फसल क्षेत्र घटकर 2023–24 में 33069 हेक्टेयर हो गया जो 2012–13 के दौरान 35178 हेक्टेयर था। दिल्ली का शेष क्षेत्र विभिन्न अन्य उपयोगों जैसे गैर कृषि कार्यों, वन, उसर भूमि, न जोतने योग्य भूमि इत्यादि में प्रयुक्त हो रहा है। दिल्ली में कृषि क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण तेजी से शहरीकरण और पेशे में बदलाव है, विशेषकर पिछले दो दशकों के दौरान।

29. पशुधन कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के विकास पर असर डालता है। दिल्ली एक उपभोक्ता राज्य हो गया है जिसमें पशुधन और पशुधन उत्पादों की आपूर्ति अन्य राज्यों से की जा रही है।

30. दिल्ली में पशुदेखभाल संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 48 सरकारी पशु अस्पताल, 29 पशु चिकित्सालय, 1 प्रयोगशाला, 1 किसान सूचना केंद्र और 2 चल क्लीनिक हैं। सरकारी पशु अस्पताल और औषधालयों में उपचार पाने वाले पशुओं की संख्या 2011–12 के 4,15,986 से बढ़कर 2022–23 में 5,49,198 हो गयी।, सितंबर 2023 तक 2,87,792 पशु सरकारी पशु अस्पताल और औषधालयों में उपचार ले चुके थे। इस बढ़ोतरी का कारण किसानों में शिक्षा और जागरुकता बढ़ना है।

पर्यावरणीय सरोकार

31. सरकार ने पर्यावरण में सुधार के लिए हाल में अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों में वृक्षारोपण, निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना, पराली प्रबंधन के लिए आईएआरआई, पूसा से विकसित बायोडिकंपोजर को बढ़ावा देना, ताप बिजली संयंत्रों को बंद करना, यांत्रिक सड़क बुहारी मशीनों (एमआरएस) का उपयोग, जल छिड़काव यंत्रों और एंटी स्मॉग गनों का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करना, एकल उपयोग प्लास्टिक पर पाबंदी, ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन, अवजल उपचार, खुले में कूड़ा कचरा और सूखी पत्तियां जलाने पर प्रतिबंध, सीवेज प्रणाली में सुधार, स्वच्छ ईंधन अपनाने के साथ कड़े औद्योगिक उत्सर्जन नियम इत्यादि आते हैं।

32. वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार के लगातार प्रयासों से अच्छे दिनों (अच्छे/संतोषजनक/मध्यम दिन मिलकर) की संख्या 2018 के 158 से बढ़कर 2023 में, जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान 206 हो गयी है।

33. रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण के लिए वन और पेड़ों से घिरे क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की पहल की है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट, 2021 के अनुसार सरकार की पहल के कारण वन और वृक्ष क्षेत्र का दायरा बढ़कर 342 वर्ग किलोमीटर हो गया है और कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का हिस्सा बढ़कर 23.06 प्रतिशत हो गया है।

34. दिल्ली पार्क औ उद्यान सोसायटी (डीपीजीएस) दिल्ली में पार्कों औ उद्यानों का रख–रखाव करती है। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस काम में डीपीजीएस निवासी कल्याण संघों/गैर सरकारी संगठनों को शामिल करती है। वर्ष 2022–23 के दौरान 421 आरडब्ल्यूए/एनजीओ की भागीदारी से 540 एकड़ क्षेत्र में 1877 पार्कों का रख–रखाव किया गया और वर्ष 2023–24 में (31.10.2023 तक) 403.66 एकड़ क्षेत्र में 1404 पार्कों की देख–रेख 276 आरडब्ल्यूए/एनजीओ की भागीदारी से सुनिश्चित की गई।

उद्योग

35. दिल्ली नीति आयोग द्वारा किये गये आकलन के अनुसार, संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी)– 9– "समावेशी सतत औद्योगिकरण, नवाचार को बढ़ावा" पर एसडीजी भारत सूचकांक 3.0 रिपोर्ट में केंद्रशासित प्रदेशों में शीर्ष पर है।

36. जारी मूल्यों पर जीएसवीए अनुमानों के अनुसार विनिर्माण से होने वाली आय 2011–12 के 18907 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023–24 (अ.अ.) में 45959 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि जीएसवीए में विनिर्माण का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 6.24 प्रतिशत से घटकर 2023–24(अ.अ.) में 4.72 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान दिल्ली के कुल जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान भी घटकर 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से 2023–24 (अ.अ.) में 13.02 प्रतिशत पर आ गया।

दिल्ली में पर्यटन

37. भारत की राजधानी दिल्ली विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए प्रमुख गंतव्यों में एक है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ गलैंस– 2022 के अनुसार 2022 में कुल विदेशी पर्यटकों के आगमन में दिल्ली 9.50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर रहा। दिल्ली मे और इसके आसपास कई महत्वपूर्ण विरासत स्थल हैं। दिल्ली पर्यटन क्षेत्र से भी आय अर्जित करता है।

38. दिल्ली सरकार ने हाल के वर्षों में स्मारक और विरासत स्थलों के लिए विभिन्न पहल की हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित किया गया है।

39. दिल्ली पर्यटन विभाग राजधानी में अनेक मेले और उत्सवों का आयोजन करता है। राजधानी को न केवल विदेशी पर्यटकों बल्कि घरेलू पर्यटकों और दिल्ली के नागरिकों के लिए भी विशिष्ट पर्यटन और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में दर्शाने के लिए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। दिल्ली पर्यटन दिल्ली हाट आईएनए, दिल्ली हाट पीतमपुरा और दिल्ली हाट जनकपुरी (खानपान और शिल्प बाजार) तथा कॉफी होम भी संचालित करता है। दिल्ली पर्यटन का एक अनूठा उद्यान भी है जिसे 'गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज ' नाम से जाना जाता है।

ऊर्जा

40. दिल्ली सरकार ने 2002 में बिजली संचरण और उत्पादन के निगमीकरण और विद्युत वितरण के निजीकरण के साथ बिजली क्षेत्र सुधार लागू किये। दिल्ली के बिजली परिदृश्य में संचरण और वितरण हानि में कमी, उपभोक्ता सेवाओं, संचरण और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। दिल्ली विद्युत बोर्ड समाप्त करने के बाद दिल्ली के बिजली प्रतिष्ठान में उत्पादन कंपनियों (इंद्रप्रस्थ बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड– आईपीजीसीएल और प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड– पीपीसीएल) दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड से संचरण, और पांच वितरण कंपनियां– ड़िस्कॉम्स– बीवाईपीएल, बीआरपीएल, टीपीडीडीएल, एनडीएमसी, और एमईएस) की भागीदारी है।

41. दिल्ली में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। दिल्ली के हाइ लोड घनत्व वाला शहरी स्थान होने के कारण यहां बिजली उपभोग 2011–12 के 25593 मेगायूनिट से बढ़कर 2022–23 में 35042 मेगा यूनिट हो गया है। दिल्ली में घरेलू बिजली उपभोग अधिक होने और चरम की मौसम स्थितियां होने के कारण बिजली लोड पैटर्न और पीक लोड पैटर्न विशेष है। दिल्ली का बिजली क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में बिल्कुल अलग है, क्योंकि अन्य राज्यों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है जबकि दिल्ली के पास बढ़ती मांग और पीक लोड पूरी करने के लिए बिजली आधिक्य है।

42. दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल बिजली खरीद 40997 मेगा यूनिट रही। कुल बिजली खरीद का 09.65 प्रतिशत दिल्ली सरकार के बिजली संयंत्रों के उत्पादन से लिया गया, 90.35 प्रतिशत बिजली की खरीद केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से हुई। वर्ष 2022–23 में पीक अवधि की मांग बढ़कर 7695 मेगा वाट हो गई जबकि वर्ष 2013–14 में यह 5653 मेगावाट थी।

43. दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण, 2012–13 के 21361 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2022–23 में 30054 मिलियन यूनिट हो गया। इसी अवधि में दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 44.64 लाख से बढ़कर 68.51 लाख हो गई। बिजली क्षेत्र में सुधारों के बाद समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में महत्वपूर्ण कमी आई और यह 2002 (जुलाई 2002 से पहले) के सुधार पूर्व समय के 52 प्रतिशत से कम होकर 2022–23 में 6.42 प्रतिशत रह गया।

44. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य संचरण केंद्र है। इस पर प्रणाली की जरुरतों के अनुसार ईएचवी नेटवर्क के उन्नयन, संचालन और रख–रखाव के अलावा 220 केवी और 400 केवी स्तर पर बिजली संचरण का उत्तरदायित्व है। विद्युत अधिनियम 2003 लागू होने के बाद दिल्ली में बिजली प्रणाली का एकीकृत संचालन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के तहत एक नया विभाग– स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) गठित किया गया। इससे पहले एसएलडीसी दिल्ली ट्रांस्को लिमिडेट/दिल्ली विद्युत बोर्ड के संचालन और रख–रखाव विभाग का हिस्सा था। एसएलडीसी दिल्ली ने 1 जनवरी 2004 को काम शुरू किया था।

45. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के बिजली संचरण नेटवर्क में 400 केवी के चार और 220 केवी के 41 सब–स्टेशन हैं और ये संचरण लाइनों से जुड़े हैं। मौजूदा नेटवर्क में दिल्ली के चारों ओर 400 केवी का घेरा है जो पूरी दिल्ली में फैले 220 केवी नेटवर्क से जुड़ा है। 2022–23 के दौरान इसकी कुल रूपांतरण क्षमता 400 केवी स्तर पर 5410 एमवीए और 220 केवी स्तर पर 14580 एमवीए है। 2022–23 के दौरान कुल ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई सर्किट किलोमीटर में 400 केवी स्तर पर 249.2 और 220 केवी स्तर पर 915.87 है।

46. दिल्ली सरकार ने ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (ईईएंडआरईएमसी) की स्थापना की है। यह केंद्र ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी (एसडीए) के रूप में काम करता है। यह विभिन्न ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को संचालित करता है। ईईएंडआरईएमसी ने राज्य नोडल एजेंसी के रूप में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर संबंधित परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं।

47. नगर निगम के ठोस कचरे का निपटान एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के साथ–साथ बिजली उत्पादन के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर कचरे से ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। एमसीडी और एनटीपीसी ने 12 मेगावॉट का कचरे से ऊर्जा संयंत्र लगाने का संयुक्त उद्यम तैयार किया है।

48. सितंबर 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा की कूल संस्तापित क्षमता 339 मेगावाट है (255 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन+84 मेगावाट कचरे से ऊर्जा उत्पादन)।

परिवहन

49. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबादी 16.78 मिलियन (2011 की जनगणना के अनुसार) है। यह पर्यटन, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार शहर में सुरक्षित

सुचारू, सस्ती, जनअनुकूल और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

50. दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के दो महत्वपूर्ण घटक हैं– बस परिवहन, मुख्यतः डीटीसी और क्लस्टर बसों द्वारा तथा डीएमआरसी का मेट्रो रेल। 2022–23 में डीटीसी बसों में दैनिक औसत यात्री संख्या 25.02 लाख और क्लस्टर बसों में 16.39 लाख थी।

51. मेट्रो लाइन के 64.751 किलोमीटर का काम फेज–1 के अंतर्गत और 123.30 किलोमीटर का काम फेज–2 (16.32 किलोमीटर एनसीआर में और 22.91 किलोमीट एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के सम्मिलित करके) के अंतर्गत पूरा हुआ। फेज–3 के तहत एनसीआर विस्तार में अतिरिक्त कॉरिडोर, जिसमें 110 स्टेशनों (एनसीआर के 30 स्टेशन के साथ 42.18 किलोमीटर लंबे मार्ग, 1 स्टेशन के साथ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का 2 किलोमीटर रूट) के साथ 162 किलोमीटर लंबे रूट का कार्य पूरा किया गया। फेज–4 के तहत 3 प्राथमिकता कॉरिडोर का काम शुरू हो चुका है।

52. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 31 मार्च 2023 को सड़कों पर मोटर वाहनों की कुल संख्या 0.34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 79.45 लाख थी। दिल्ली सरकार द्वारा 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और 2022–23 तक 62,59,214 वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। 2022–23 में प्रति एक हजार की आवादी पर वाहनों की संख्या 473 थी (2011 की जनगणना के अनुसार), इसमें 2021–22 की तुलना में कोई खास अंतर नहीं आया जब यह संख्या 472 थी।

53. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू की गई। रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के–95.13 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग– 37.50 किलोमीटर, शाखा सड़कें–298 किलोमीटर और 30 मीटर से कम चौडाई वाली 926 किलोमीटर सड़कें बनाई गई।

54. एनसीआर में डीटीसी सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन प्रतिष्ठान है। दिसंबर 2023 के अनुसार डीटीसी शहर के 489 रूटों पर और एनसीआर के 08 रुटों पर 4093 बसें परिचालित हैं। डीटीसी दिल्ली–काठमांडू के लिए अंतरराष्ट्रीय बस सेवा भी संचालित कर रही है। इसके अलावा 2841 बसें क्लस्टर योजना के तहत चलाई जा रही है।

55. वर्तमान में 63 बस डिपो (डीटीसी 40, क्लस्टर 23) और 16 बस टर्मिनल परिचालन में हैं। जिनमें से 11 बस डिपो (डीटीसी–8, क्लस्टर 3) का विद्युतीकृत किया जा चुका है। इसके अलावा 16 बस टर्मिनल भी प्रचालन में हैं।

56. रात्रि सेवा के लिए 27 रूटों पर 88 बसें चलाई जाती हैं। 30 रूटों पर व्यस्ततम समय के दौरान 30 महिला स्पेशल बसें भी चलाई जा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2022–23 में डीटीसी की बसों में 8628 मार्शल और क्लस्टर बसों 2752 मार्शलों की तैनाती थी।

57. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में विद्युत बसों को बढावा देने का फैसला किया है इससे वाहनों के कारण होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी। भारत में विद्युत वाहनों के निर्माण और

तेजी से अपनाये जाने की योजना (फेम इंडिया) के तहत डीटीसी में दिसंबर 2023 तक 996 बिजली चालित बसें (डीटीसी–902, क्लस्टर–94) शुरू की जा चुकी हैं।

58. दिल्ली में डीटीसी/क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा है। 2022–23 के दौरान डीटीसी की बसों में 22 करोड़ और क्लस्टर बसों में 23.41 करोड़ महिला यात्रियों ने निशुल्क यात्रा की।

जलापूर्ति और सीवरेज

59 एसडीजी–6 के अंतर्गत संधारणीय विकास लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है– सबसे लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। दिल्ली सरकार साफ, सुरक्षित, पर्याप्त और सुलभ पीने का पानी तथा स्वच्छता तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वस्थ जीवन के लिए ये जन सुविधाएं सभी नागरिकों को उपलब्ध कराई जानी है। सरकार सभी घरों को चौबीसों घंटे साफ पानी उपलब्ध कराने, अधिक से अधिक मात्रा में अवजल और ठोस कचरे तथा सभी प्रकार के औद्योगिक बहिस्राव का उपचार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

60. दिल्ली सरकार ने जल कनेक्शन का मीटर रखने वाले प्रत्येक घरों को 20 किलोलीटर तक पानी निशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। लगभग 24.72 लाख उपभोक्ता इस योजना के लागू होने के बाद से लाभान्वित हो चुके हैं। हाल में सरकार ने एक सीमित अवधि के लिए सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने की स्कीम शुरू की है। इसका उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले अनिच्छुक निवासियों को अपने घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर शहर और यमुना नदी को स्वच्छ बनाना है। सीवर कनेक्शन के लिए आवश्यक विकास शुल्क से छूट देकर अधिक से अधिक घरों को सीवर कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

61. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है उपेक्षित और सुविधावंचित क्षेत्रों तक नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराना। कुल अनधिकृत कॉलोनियों के 97 प्रतिशत को इस दायरे में लाया गया है। शेष अनधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

62. जल और स्वच्छता क्षेत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है– दिल्ली से बाहर के स्रोतों से जलापूर्ति बढ़ाना– जैसे हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, उत्तराखंड में किशाउ और लखवार व्यासी बांध, तालाबों के संभरण से यमुना बाढ़ क्षेत्र से भूमिगत जल प्राप्त कर रहे हैं। जल पुनचक्रण, वर्षा जल संचयन, पानी का रिसाव रोके जाने, समुचित जल लेखांकन से गैर राजस्व जल की मात्रा में कमी लाने, बल्क मीटर लगाने जैसे उपायों से आंतरिक स्रोतों की क्षमता बढाई जा रही है।

63. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने प्रशासनिक कार्य क्षमता में सुधार किया है और पानी की मांग पूरी करने, कुशल जल वितरण प्रबंधन, समुचित जल लेखांकन, जीपीएस/जीपीआरएस के उपयोग से पारदर्शी टैंकर जल वितरण प्रणाली के लिए कई उपाये किए हैं।

64. दिल्ली के लगभग 93.5 प्रतिशत घरों को अब पाइप के जरिये जलापूर्ति हो रही है। गर्मियों के दौरान जल उत्पादन 1000 एमजीडी प्रतिदिन पर बनाए रखा जा रहा है। पानी की आपूर्ति मौजूदा

आपूर्ति नेटवर्क के जरिये होती है, जिसमें 15473 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन और 117 से अधिक भूमिगत जलाशय (यूजीआर) शामिल हैं। वर्तमान आपूर्ति नेटवर्क से दिल्ली की 21.5 मिलियन आवादी को जलापूर्ति की जा रही है। लगभग 1030 माइल्ड स्टील टैंकरों के अलावा 250 नए खरीदे गए स्टेनलेस स्टील के टैंकर पानी के कमी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए मौजूदा टैंकरों के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं।

65. दिल्ली जल बोर्ड ने जल लेखांकन के लिए फ्लो मीटर लगाने की परियोजना शुरू की है। दिल्ली जल बोर्ड लगभग 3285 बल्क फ्लो मीटर अपनी प्राथमिक और द्वितीयक प्रणाली में लगा रहा है जो 100 मि.मी. व्यास से 1500 मि.मी. व्यास तक के हैं। लगभग 3236 फ्लो मीटर लगाए जा चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय झंडेवालान में एक डेटा/एससीएडीए केंद्र स्थापित किया गया है जहां वास्तविक समय आधार पर ऑनलाइन डेटा प्राप्त किए जा रहे हैं। इससे वास्तविक समय निगरानी और बेहतर जल वितरण में मदद मिल रही है।

66. दिल्ली जल बोर्ड की स्थापित क्षमता में पिछले 15 वर्ष के दौरान 16.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2009 में यह क्षमता 810 एमजीडी थी जो बढ़कर 2023 में 946 एमजीडी हो गई है।

67. जल शुल्क 'अधिक इस्तेमाल, अधिक भुगतान' के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान जल शुल्क नीति पानी का अत्यधिक उपभोग या पानी बर्बाद करने वाले उपभोक्ताओं को हतोत्साहित करने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड ने वर्ष 2022–23 के दौरान 1294.86 करोड़ रुपए संकलित किए हैं। 20 किलोलीटर प्रतिमाह पानी का उपभोग करने वाले और जल मीटर लगवा चुके दिल्ली जल बोर्ड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को शत–प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है और उन्हें एक मार्च 2015 से पानी बिल भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है।

68. दिल्ली जल बोर्ड ने बिना मीटर वाली जलापूर्ति की मीटरिंग के उद्देश्य से जल मीटर लेने के लिए अपनी प्रणाली में सुधार किया है। वाटर कनेक्शन की मंजूरी के साथ जल मीटर आपूर्ति की मौजूदा प्रणाली में संशोधन किया गया है। अब उपभोक्ता खुले बाजार से अनुमोदित विशेषताओं वाले जल मीटर खरीद सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के त्रुटिपूर्ण मीटर प्रस्तुत करने वाले उपभोक्ताओं को इसके स्थान पर निजी जल मीटर लेने की अनुमति होगी और उन्हें या तो मीटर सिक्योरिटी का रिफंड लेने या बाद के जल प्रभार में इसे समायोजित करने का विकल्प दिया जाएगा।

69. दिल्ली जल बोर्ड अपने 64 जल निकायों का पुनरूद्धार कर रहा है। इनमें से 39 का पुनरूद्धार कार्य पूरा हो चुका है और 25 के लिए जल्दी ही निविदाएं जारी की जाएगी।

70. तिमारपुर ऑक्सीडेशन पौंड, द्वारका, पप्पनकला, रोहिणी, निलोठी में जल निकाय सृजन और रोशनआरा लेक का पुनरूद्धार कार्य शुरू किया जा रहा है।

71. दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी सीवेज उपचार क्षमता बढाकर 31.03.2023 तक 632.26 एमजीडी कर ली है। जबकि 31.03.2001 को यह क्षमता 402.40 एमजीडी थी। दिल्ली जल बोर्ड की शाखीय, परिधीय सीवर नेटवर्क लगभग 10000 किलोमीटर का है। 200 किलोमीटर का मुख्य सीवर नेटवर्क भी है।

आवासन और शहरी विकास

72. दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को एक ऐसे गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए संधारणीय, समावेशी और सबके लिए समान सुविधाओं से युक्त बनाना है, जो पारिस्थितकीय और सांस्कृतिक रूप से सतत और सुलभ हो। मलिन बस्तियों के उन्नयन, बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पर्याप्त जल स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधाजनक आवास तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ये नागरिकों के उत्तम और स्वास्थ्यकर जीवन के लिए अनिवार्य घटक हैं।

73. दिल्ली में आवास बाजार की स्थिति जटिल है, जहां इसका बुनियादी आधार 'जमीन' केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और दिल्ली विकास प्राधिकरण और कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और विकास उसकी जिम्मेदारी है। आवास की आपूर्ति और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी भरपाई बड़े पैमाने पर गैर–विनियमित निजी क्षेत्र करता है। बड़े पैमाने पर आवास की कमी, अनेक परिवारों का बिना किसी आश्रय या अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय में रहना, मलिन बस्तियों की भारी आबादी, अनेक परिवारों के पास एक कमरे का आवास होना दिल्ली के आवास परिदृशय की मुख्य पहचान है।

74. हाल के वर्षों में सरकार मुख्य रूप से सुविधा वंचित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अनधिकृत कालोनियों में भारी सरकारी निवेश पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों के विकास, जल निकासी और साफ–सफाई की व्यवस्था से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। स्व–स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं का उद्देश्य इन बस्तियों में रह रहे लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं से लगभग 52,000 रिहायशी इकाईयों की स्थिति में सुधार होने का अनुमान है।

75. पहली मई, 2017 से दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम लागू किया। इसका लक्ष्य रीयल एस्टेट क्षेत्र का नियमन सुनिश्चित करना और प्लॉटों, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है ताकि उपभोक्ताओं के हित संरक्षित किए जा सके। अधिनियम के तहत प्राधिकरण के निर्णयो, निर्देशों या आदेशों से संबंधित अपील की सुनवाई के लिए रीयल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन किया जाएगा। यह अधिकरण पारदर्शिता, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन के लिए रीयल एस्टेट क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

76. दिल्ली का मूल ऐतिहासिक स्वरूप बनाए रखने और शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक व्यापक पुनर्विकास योजना तैयार की गई है। यह निगम उन शहरी विरासत स्थलों का संरक्षण करेगा जो स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिनका सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है।

77. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के तहत अनेक पहल की है। जैसे– घरों से कचरा एकत्र करना, स्रोत पर ही उन्हें अलग–अलग करना, कचरा उपचार संयंत्रों का

विकेन्द्रीकरण और एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाना। 11,104 मीट्रिक टन प्रतिदिन ठोस कचरा एकत्र किया गया और तीन कूड़ा स्थलों तथा प्रसंस्करण संयंत्रों तक भेजा गया। कुल कचरे के लगभग 47 प्रतिशत का प्रसंस्करण कचरे से ऊर्जा और कचरे से कंपोस्ट संयंत्रों के माध्यम से किया जाता है तथा शेष को तीन कूड़ा स्थलों पर डाल दिया जाता है।

78. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने भलस्वा, गाजीपुर और ओखला कूड़ा स्थलों पर एकत्र कचरे के निपटान के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन के लिए राशि जारी की है। इन कूड़ा स्थलों पर लंबे समय से एकत्र किए जा रहे कचरे से लोगों के स्वास्थ्य और वातावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसका स्वीकार्य नियमों के तहत जल्दी से जल्दी वैज्ञानिक और पर्यावरण के लिए सुरक्षित निपटान किया जाना आवश्यक है। इन स्थानों से कूड़े का ढेर हटाने के बाद खाली हुई जमीन का उपयोग एकीकृत कचरा प्रसंस्करण और उपचार केंद्र के रूप में किया जा सकेगा। परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इस स्थल के चारो ओर जैव विविधता पार्क भी विकसित किया जा सकेगा।

शिक्षा

79. 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर 86.2 प्रतिशत है, इसमें पुरूष साक्षरता दर 90.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत है, जो 80.9 प्रतिशत पुरूष साक्षरता और 64.6 प्रतिशत महिला साक्षरता दर के साथ 73 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में साक्षरता में स्त्री–पुरुष अंतराल में कमी आई है और यह 2001 के 12.62 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 10.1 प्रतिशत रह गई। 75वें एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली केरल के बाद साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है। केरल की साक्षरता दर 88.7 प्रतिशत है।

80. दिल्ली में 5488 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिनमें 46.29 लाख बच्चों का नामांकन है। दिल्ली सरकार के कुल 1240 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जो दिल्ली में चल रहे कुल स्कूलों का 22.59 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 के दौरान सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन का हिस्सा दिल्ली के सभी स्कूलों के कुल नामांकन का 41.61 प्रतिशत रहा।

81. यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2021–22 के अनुसार दिल्ली में शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) अखिल भारतीय स्तर की तुलना में कहीं ज्यादा है।

82. शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं दोनों स्तरों पर सराहनीय परिणाम हासिल किए हैं। शिक्षा सत्र 2022–23 में सरकारी स्कूलों में उत्तीर्णता प्रतिशत 10वीं कक्षा के स्तर पर 91.1 प्रतिशत और 12वीं कक्षा के स्तर पर 94.1 प्रतिशत रहा।

83. शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार–आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा सत्र 2023–24 में आर्थिक रूप से कमजोर और सुविधावंचित श्रेणी के बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन ड्रा का संचालन किया और निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 35186 सीटें आवंटित की।

84. आबीआई की राज्य बजट विश्लेषण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सभी राज्यों की तुलना में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगातार सर्वाधिक बजटीय आवंटन कर रही है। 2023–24 के दौरान दिल्ली शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट के 21 प्रतिशत के निर्धारण के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद छत्तीसगढ़ (18.2 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (17.6 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2023–24 में इस संदर्भ में राष्ट्रीय औसत 13.3 प्रतिशत था।

85. वर्ष 2021–22 के दौरान स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक की पायलट परियोजना के अनुभव के आधार पर डीजीएचएस और शिक्षा निदेशालय ने इस परियोजना को आगे बढाया। प्रत्येक स्कूल के स्वास्थ्य क्लीनिक में 1 पीएचएनओ (जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी) और एनओ (नर्स ऑडर्ली) नियमित आधार पर सप्ताह में 6 दिन और एक चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ/एसएमओ) प्रत्येक पांच स्कूल हेल्थ क्लीनिक के लिए होंगे। यह परियोजना सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं और एनीमिया, मायोपिया, किशोर उम्र में डायबिटिज जैसे रोगों के जल्द पता लगाने में मदद करती है।

86. उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिभा सह माध्यम से जुड़े वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत आकलन वर्ष 2021–22 के 10650 विद्यार्थी वित्तीय वर्ष 2021–22 में लाभान्वित हुए। हालांकि यह स्कीम अभी दिल्ली उच्च और तकनीकी शिक्षा सहयोग स्कीम (दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट के तहत) के रूप में संशोधित किए जाने के लिए प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव अभी कैबिनेट की मंजूरी के लिए सौंपा गया है।

87. दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 2020 में हुई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय कौशल शिक्षा प्रदान करना और कौशल से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन करना है, ताकि राष्ट्र के विकास के लिए प्रशिक्षित और रोजगार में लगाने योग्य मानव संसाधन विकसित करने की चुनौती का समाधान किया जा सके। वर्ष 2023–24 के दौरान विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 7910 थी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

88. दिल्ली अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की समान और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने तथा संचारी और गैर संचारी रोगों में कमी लाकर मृत्युदर कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

89. दिल्ली सरकार 4 स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा मॉडल लागू कर रही है। पहले और दूसरे स्तर पर मोहल्ला क्लीनिक और पॉलिक्लीनिक से प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। 31 मार्च 2023 को 92 अस्पताल, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1658 औषधालय, 124 मैटर्निटी होम और उप–केंद्र, 46 पॉलिक्लीनिक, 1040 नर्सिंग होम, 405 विशेष क्लीनिक और स्वैच्छिक संगठन तथा 19 मेडिकल कॉलेज दिल्ली में उपलब्ध थे। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली सरकार के 38 मल्टीस्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 174 एलोपैथिक औषधालय, 60 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 521 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 30 पॉलिक्लीनिक, 55 आयुर्वेदिक औषधालय, 25 यूनानी औषधालय,

117 होम्योपैथी औषधालय और 46 स्कूल स्वास्थ्य क्लीनिक नागरिकों को स्वास्थ्य उपचार सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

90. सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाएं और निशुल्क सर्जरी शुरू की है। रेडियोलॉजिकल निदानों और सर्जरी के लिए रोगियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना, एसिड हमले/जलने की घटना के पीड़ित लोगों का भी उपचार दिल्ली आरोग्य कोष से किया जा रहा है।

91. भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वार जारी एसआरएस मई 2022 के आधार पर, शिशु मृत्युदर, नवजात मृत्युदर, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों के संदर्भ में दिल्ली 12, 9 और 14 की स्तर पर है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह क्रमशः 28, 20 और 32 है। इसी प्रकार 1.4 के कुल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर) के साथ दिल्ली अखिल भारतीय स्तर पर 2.0 दर की तुलना में नीचे के स्तर पर है। यह आंकड़ा रिप्लेसमेंट रेट की उपलब्धि दर्शाता है।

92. शत–प्रतिशत संस्थागत प्रसव का स्तर प्राप्त करने के लिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को और प्रभावी और सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। 2022 में संस्थागत प्रसव का अनुपात 94.02 प्रतिशत था। शत–प्रतिशत दर की उपलब्धि के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाये जाने की जरूरत है।

93. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, टीबी नियंत्रण, कुष्ठरोग उपचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह कार्यक्रम दिल्ली में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली एड्स नियंत्रण सोसायटी राष्ट्रीय एड्स रोकथाम कार्यक्रम लागू कर रही है। आयुष निदेशालय आईएसएम और होम्योपैथी की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करता है।

सामाजिक कल्याण और सुरक्षा

94. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, मुसीबतजदा महिलाएं, विशेष आवश्यकता वाले लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम/स्कीम लागू कर रही है।

95. मौजूदा वर्ष के दौरान, वरिष्ठ नागरिकों (4.05 लाख लाभान्वित दिसंबर 2023 तक), मुसीबतजदा महिलाएं (3.75 लाख लाभान्वित दिसंबर 2023 तक), विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति (1.23 लाख लाभान्वित दिसंबर 2023 तक) की वित्तीय सहयोग योजना के लिए आवंटन लगभग 3206 करोड़ रुपए है। 60–69 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिमाह 2000 रुपए और 70 वर्ष और ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों और मुसीबतजदा महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए का वित्तीय सहयोग दिया जाता है। एक नई स्कीम 'मुख्यमंत्री कोविड–19 परिवार वित्तीय सहायता' 2021–22 से शुरू

की गई जिसका उद्देश्य कोविड महामारी में परिवार की रोजी–रोटी कमाने वाले मुखिया की मृत्यु के बाद बचे सदस्यों के लिए प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

96. महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए महिला और बाल विकास विभाग कुछ प्रमुख कार्यक्रम लागू कर रहा है जैसे–एकीकृत बाल विकास योजना, लाडली योजना, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहयोग। दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

97. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान और उपेक्षित बच्चों की देखभाल से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए कार्यरत है।

98. दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11220 रूपए प्रतिमाह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 5610 रुपए प्रतिमाह की मानदेय राशि उपलब्ध करा रही है।

99. दिल्ली सरकार एससी/एसटी/ओबीसी/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा एससी/ एसटी/ ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही हैं जैसे वित्तीय सहायता 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना' ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति प्रदान करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

100. दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत समाज के वंचित वर्गों को खाद्यान्न मुख्यतः चावल, गेहूं और चीनी रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। दिल्ली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू करने वाला पहला राज्य था। इसे भारत सरकार द्वारा अधिनियम लागू करने के तुरंत बाद पहली सितंबर 2013 से दिल्ली में लागू कर दिया गया।

101. दिल्ली सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ई–पीओएस और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना जुलाई 2021 से लागू की है। इसके अनुसार एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अंतर्गत जुलाई 2021 से दिल्ली में सभी उचित मूल्यों की दुकानों तक पहुंच लागू किए जाने के बारे में आदेश 19 जुलाई 2021 को जारी किया गया। इसके जरिये सभी प्रवासी लाभार्थियों को, जो अपने मूल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत ई–पीओएस के जरिये बायोमैट्रिक पहचान की पुष्टि के बाद राशन लेने की अनुमति है।

102. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सार्वजनिक वितरण नेटवर्क में 1997 उचित मूल्य की दुकाने हैं जो मार्च 2023 को 17.84 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्ड के जरिये 72.78 लाख आबादी को सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही थीं। यह खाद्य सुरक्षा कार्ड आधार से जुड़े होते हैं। दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड़ धारकों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (10 किलो चावल, 25 किलो गेहूं) और एक किलो चीनी मिलती

है। पीएचएच श्रेणी के लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्य (1 किलो चावल और 4 किलो गेहूं) मिलता है।

103. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक एनएफएस के सभी लाभार्थियों (72.78 लाख) को पांच किलो खाद्यान्न (4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल) प्रति माह उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने भी अंत्योदय अन्न योजना के सभी कार्ड धारकों (56,700 कार्ड धारक) को एक किलो चीनी निशुल्क उपलब्ध कराई।

जनसांख्यिकी स्वरूप

104. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या रिपोर्टों के अनुसार शहरीकरण की तेज गति के साथ ग्रामीण आबादी और ग्रामीण क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली में 1901 के 53 प्रतिशत की तुलना में 2011 में 97 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में थी। यह राष्ट्रीय राजधानी में शहरीकरण की तेज वृद्धि का स्पष्ट संकेत है। दिल्ली की ग्रामीण जनसंख्या 1991 के 9.49 लाख से घटकर 2011 में 4.19 लाख रह गई है। शहरीकरण की इस गति के कारण दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र के गांव की संख्या 1961 के 300 से कम होकर 2001 में 165 और 2011 में 112 रह गई है।

105. 1951 के बाद से पहली वार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आबादी की दशकीय वृद्धि दर में कमी आई और यह 2011 में 21.2 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 2001 में यह 47.02 प्रतिशत थी। यह 2011 की जनगणना की एक अनोखी विशेषता थी, क्योंकि 1951 के बाद की सभी जनगणनाओं में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 50 प्रतिशत से अधिक रही है। केवल 2001 को छोड़कर जब यह 47 प्रतिशत थी। जनसंख्या में तेज वृद्धि से जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ा और यह 1991 के 6352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2001 में 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 में 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया।

106. 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व लगभग 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोगों का था। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक था।

दिल्ली में गरीबी रेखा

107. निर्धनता वह स्थिति है जब व्यक्ति या समुदायों को जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संसाधनों, योग्यता और माहौल का अभाव होता है। यह वह स्थिति दर्शाती है जिसमें एक व्यक्ति आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त जीवन स्तर बनाए रखने में विफल हो जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 68वें दौर (जून 2011 से जुलाई 2012) के आधार पर नीति आयोग ने गांवों और शहरों में गरीबी रेखा कि राज्यवर रिर्पोट प्रकाशित की। इसके अनुसार दिल्ली में ग्रामीण गरीबी रेखा का स्तर 1145 रूपये और शहरों में 1134 रूपये होने का अनुमान व्यक्त किया। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह

प्रति व्यक्ति था। 2011–12 में दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अनुमानित संख्या 16.96 लाख थी और यह संख्या दिल्ली की कुल आबादी का 9.91 प्रतिशत थी।

108. अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय, दिल्ली राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय–समय पर कराये गये प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर" लेबल एंड पैटर्न ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपैन्डिचर ऑफ दिल्ली" नामक रिपोर्ट जारी करता है। एनएसएस 68वें दौर (जुलाई 2011 से जून 2012) रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति व्यय 3726.66 रुपए है, जिसमें 1461.54 रुपए खाद्य सामग्री पर और 2265.12 रुपए गैर खाद्य सामग्री पर व्यय किए जाते हैं।

109. दिल्ली सरकार ने 2015 से दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, बिजली और महिला सुरक्षा क्षेत्रों में सब्सिडी उपलब्ध कराई है। सरकार द्वारा निर्धन वर्गों के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए निशुल्क बस सेवा अनेक कल्याणकारी स्कीम/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

रोजगार और बेरोजगारी

110. भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021–जून 2022 के दौरान कराए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार सभी आयुवर्ग में श्रमबल भागीदारी दर (प्रतिशत में) 34.8 और जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 35.7 थी जबकि श्रमिक जनसंख्या अनुपात (प्रतिशत में) जुलाई 2021 से जून 2022 के दौरान 33.0 तथा जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 35.0 था। सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी दर (प्रतिशत में) जुलाई 2021 से जून 2022 के दौरान 5.3 और जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 1.9 थी।